लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5635

दिनांक 26.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

हस्तशिल्प कारीगरों की आय

5635. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चालू वर्ष में हस्तशिल्प कारीगरों की आय बढ़ाने हेतु कोई योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा कारीगरों के कौशल का उन्नयन करने हेतु उनकी क्षमता निर्माण के लिए क्या उपाय किए जा रहे है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) जी हां महोदय, सरकार "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)" और "वृहत्त हस्तशिल्प कलस्टर विकास स्कीम (सीएचसीडीएस)" के तहत कारीगरों की आय को बढ़ाने और हस्तशिल्प क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न स्कीमें लागू कर रही है।

एनएचडीपी के निम्नलिखित घटक हैं:

i. "अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (बेस लाइन सर्वे और कारीगरों की लामबंधी)" स्कीम प्रभावी सदस्य सहभागिता और परस्पर सहयोग के सिद्धांतों पर कारीगर कलस्टरों को पेशेवर रूप से प्रबंधित और आत्म-निर्भर सामुदायिक उद्यम में विकासित करने के द्वारा भारतीय हस्तशिल्प के संवर्धन की ओर लक्ष्यांकित है।

ii. "डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन" स्कीम विदेशी बाज़ारों के लिए नूतन डिज़ाइनों और प्रोटोटाइप उत्पादों के विकास, लुप्तप्राय शिल्पों के जीर्णोद्धार और विरासत के अनुरक्षण आदि के माध्यम से कारीगरों के कौशल उन्नयन की ओर लक्ष्यांकित है।

iii. "मानव संसाधन विकास" स्कीम का सूत्रपात हस्तशिल्प क्षेत्र को योग्य और प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने के लिए किया गया है।

iv. "कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ" स्कीम कल्याणकारी उपायों जैसे स्वास्थ्य और जीवन बीमा करने, मान्यता देने, ऋण सुविधाएं प्रदान करने, कारीगरों को आधुनिक औज़ारों और उपकरण सप्लाई करने आदि की ओर लक्ष्यांकित हैं।

v. "इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी सहायता" स्कीम हस्तशिल्प उत्पादन को समर्थन देने हेतु देश में विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बने रहने के लिए उत्पाद गुणवत्ता और लागत में वृद्धि करने की ओर लक्ष्यांकित है।

vi. "अनुसंधान एवं विकास" स्कीम महत्वपूर्ण शिल्पों पर सर्वेक्षण और अध्ययन संचालित करने और हस्तशिल्प के विशिष्ट पहलुओं और समस्याओं पर गहन विश्लेषण करने के लिए आरंभ की गई थी, जिससे कि नीति निर्माण के लिए उपयोगी इनपुट प्राप्त हो सकें और चल रही योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके।

vii. "विपणन सहायता एवं सेवाएं" स्कीम कारीगरों को मेट्रोपोलिटन शहरों/राज्यों की राजधानियों/पर्यटक या वाणिज्यिक महत्व के स्थानों/अन्य स्थानों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनियों/ सेमिनारों में भागीदारी करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी।

सीएचसीडीएस के दो घटक हैं नामश: मेगा कलस्टर और हस्तशिल्प के एकीकृत विकास और संवर्धन (आईडीपीएच) के तहत विशेष परियोजनाएं:

i. मेगा कलस्टर अप्रोच हस्तशिल्प कलस्टरों में आधारभूत संरचना एवं उत्पादन श्रृंखला को प्रवर्धित करने की एक मुहिम है। इस क्षेत्र की संभावनाएं आधारभूत संरचनात्मक उन्नयन, मशीनरी के आधुनिकीकरण एवं उत्पाद विविधिकरण और अभिनव विनिर्माण में निहित है, इसके साथ-साथ देशी उत्पादों के लिए ब्रांड का निर्माण कलस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए निज मार्किट सृजित करने की कुंजी है।

ii. हस्तशिल्प के एकीकृत विकास और संवर्धन (आईडीपीएच) के तहत विशेष परियोजनाएं हस्तशिल्प के लिए उत्पादन, मूल्य वर्धन और गुणवत्ता आश्वासन हेतु पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करने और हस्तशिल्प को राज्य में कारीगरों के लिए स्थायी और लाभकारी आजीविका के एक विकल्प के रूप में विकसित करने हेतु आरंभ की गई थी।

(ख) सरकार कारीगरों की क्षमता निर्माण के लिए मानव संसाधन विकास (एचआरडी) स्कीम लागू कर रही है ताकि उनका कौशल उन्नयन हो सके। इस स्कीम का सूत्रपात हस्तशिल्प क्षेत्र को योग्य और प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने के लिए किया गया है। यह कार्यबल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन के लिए एक मजबूत उत्पादन आधार में सहयोग देगा जो कि वर्तमान बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। यह स्कीम अपने घटकों के माध्यम से महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के द्वारा हस्तशिल्प के लिए प्रशिक्षित डिज़ाइनरों के संवर्ग के संदर्भ में इस क्षेत्र के लिए मानव पूंजी निर्मित करने की ओर भी लक्ष्यांकित है। कारीगरों को आवश्यक सॉफ्ट स्किल प्रदान करने का भी एक प्रावधान बनाया गया है ताकि वे अपना स्वयं का व्यवसाय चला सकें।

इस स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं:

(i) स्थापित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण।
(ii) हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम।
(iii) गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण
(iv) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।
(v) डिज़ाइन मेंटरशिप और प्रशिक्षु कार्यक्रम।

इसके अलावा, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु स्कीम (एससीबीटीएस) आरंभ की है जिसे **समर्थ** स्कीम नाम दिया गया है। **समर्थ** वस्त्र मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय विभागों/ संगठनों के माध्यम से पारंपरिक क्षेत्रों में कुशलता और कौशल उन्नयन के संवर्धन हेतु स्कीम को प्रोत्साहन देने के लिए मांग के अनुसार, प्लेसमेंट उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करने, और देश भर में समाज के सभी वर्गों को आजीविका प्रदान करने के लिए एक फ्लैगशिप स्कीम है। स्कीम का लक्ष्य 1300 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ और वस्त्र उद्योग, वस्त्र मंत्रालय/राज्य सरकार के संस्थानों/संगठनों की सहभागिता से 3 वर्षों की अवधि के दौरान 10 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है।

******